(68)

प्र/निग0/प्रिवा/2018/01860

293

न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष /सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

मालती सिंह पत्नी नायक सिंह उम्र 60 साल पेशा- ... निवासी ग्राम

लालगांव छोटी अटरिया तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

अधि0 श्री देवेन्द्र शुक्ला द्वारा पेश/20-3-18

... निगरानीकर्ता

बनाम

सनद कुमार सिंह तनय युवराज सिंह उम्र साल पेशा- खेती निवासी

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

ग्राम लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

... गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्री मान् राजस्व निरीक्षक वृत्त लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 प्रकमांक 11/अ12/14-15 आदेश दिनांक 24.6.15 सनद कुमार बनाम शासन म0प्र0

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

---

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

---

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.6.15 सीमांकन प्रकरण क्रमांक 11/अ12/14-15 बावत आराजी नं. 2437 रकबा 0.405 हे0 स्थित मौजा लालगांव तहसील सिरमौर विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। क्र..

नि0 श्री0

मालती सिंह

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2018/1860 जिला–रीवा

**श्रीमती मालती सिंह/ सनद कुमार सिंह**

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| 05/8/19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त लालगांव, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 11/अ 12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(महेशचन्द्र चौधरी),<br>सदस्य | |